राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 1558/2023

सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री संपतराज, उम्र लगभग 64 वर्ष, सुराणा हाउस, सिरियारी, पी.एस. सिरियारी, जिला पाली

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. आचार्य महाश्रमण, श्री जैन श्वेताम्बरतेरापंथी सभा, मर्यादा महोत्सव समिति, बीदासर, जिला. चूरू.
3. प्रधान संपादक, केशव प्रसाद चतुर्वेदी, विज्ञानपति तेरपंथ केन्द्रीय गतिविधियों का सर्वाधिक लोकप्रिय साप्ताहिक मुख्य पात्र, नई दिल्ली।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री यश आनंद, श्री राजेंद्र सिंह के साथ जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पीपी श्री आरएस भाटी, एजीए डॉ. ए.ए. -भंसाली.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

18/09/2024

1. यहां चुनौती दी गई है आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 09/2022 (09/2022) में विद्वान न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, पाली द्वारा पारित दिनांक 09.01.2023 के आदेश/निर्णय को, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण (निजी शिकायत) संख्या 43/2019 में पारित दिनांक 31.01.2022 के आदेश/निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत दायर निजी शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, सुरेंद्र कुमार का दावा है कि 12.11.2016 को, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 को अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया था। उन्हें श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, मर्यादा महोत्सव समिति, बीदासर, जिला चूरू का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 नाराज हो गए और उन्होंने सोसायटी की एक पत्रिका में एक विज्ञापन प्रकाशित किया और एक टीवी चैनल पर समाचार प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता अब तेरापंथी समाज का सदस्य नहीं है। इससे समाज में याचिकाकर्ता की बदनामी हुई। नतीजतन, उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई।

2.1 शिकायत दर्ज होने के बाद, अजीत कुमार वैद, हरकचंद बाफना, भोपाल सिंह, भंवरलाल, किरणराज, सुरेशचंद्र, भूपेंद्र सिंह और खुद सुरेंद्र कुमार (शिकायतकर्ता) सहित कई गवाहों की अदालत में जांच की गई। गवाहों के बयानों की जांच करने के बाद, मारवाड़ जंक्शन के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 31.01.2022 को याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसका भी कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि समन के चरण में न्यायालय का प्राथमिक ध्यान यह निर्धारित करना है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, साक्ष्य की बारीकियों या दोषसिद्धि की संभावना पर ध्यान दिए बिना। आठ गवाहों की गवाही ने याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर अपमानजनक बयानों के व्यापक प्रभाव को प्रदर्शित किया।

4.1. इसके अलावा, इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता का तेरा पंथ समाज संघ में सफल चुनाव शामिल है, जहाँ उसे 126 मतों का पर्याप्त बहुमत मिला, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा समर्थित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मात्र 20 मतों से कहीं अधिक था। इस चुनावी जीत ने प्रतिवादी संख्या 2 की दुश्मनी को बढ़ावा दिया और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता का बहिष्कार हुआ।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक शिकायत के बाद, याचिकाकर्ता ने कई बार माफी मांगकर विवादों को हल करने का प्रयास किया और अंततः अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल

2018 में, एक नया चुनाव हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग नहीं लेने का फैसला किया।

5.1. मई 2019 के महीने में, याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 और 384 के तहत कथित अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 सहित 32 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस शिकायत को जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। 02.06.2019 को पुलिस ने सिरयारी पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 111/2019 दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। इस जांच के दौरान, शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता की मां ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत एक बयान दिया।

5.2. जब जांच चल रही थी, याचिकाकर्ता ने उसी घटना और तथ्यों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ 19.08.2019 को एक और शिकायत दर्ज की। यह शिकायत पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत संख्या 25/19 के रूप में दर्ज की गई थी। इस बीच, जांच अधिकारी ने एफआईआर संख्या 111/2019 के संबंध में 27.09.2019 को एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, 09.12.2019 को याचिकाकर्ता ने उसी घटना के आधार पर तीसरी शिकायत दर्ज की, जिसे उसी अदालत में शिकायत संख्या 43/2019 के रूप में दर्ज किया गया।

5.3. उसी दिन, याचिकाकर्ता ने दूसरी शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय, 14.12.2019 को, उन्होंने लोक अदालत सत्र के दौरान दूसरी शिकायत वापस ले ली, ऐसा बिना किसी स्वतंत्रता के किया, जिसके कारण इसे खारिज कर दिया गया। यह इस पृष्ठभूमि में था कि 31.01.2022 को, सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत बयान दर्ज करने के बाद, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक विस्तृत आदेश पारित करके तीसरी शिकायत को खारिज कर दिया। इसलिए इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं है।

6. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, यह साबित होता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया आदेश अन्य बातों के साथ-साथ इस तर्क पर आधारित है कि कथित मानहानिकारक बयान सुरेंद्र सुराणा के जैन श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय से अलग होने से संबंधित था, जो धार्मिक संदर्भ में दिया गया था, और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति अवमानना या नुकसान नहीं दर्शाता था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाशन का उद्देश्य समुदाय को सुराणा की स्थिति के बारे में सूचित करना था। इस प्रकार, उसे सामाजिक बहिष्कार या उसके खिलाफ आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला। आचार्य ने सुराणा के प्रति सद्भावना व्यक्त की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को

नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं दिखा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला स्थापित करने में विफल रहा।

7. पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने तर्क के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

8. मेरी राय में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने निकाले गए निष्कर्षों और लिए गए दृष्टिकोण के लिए ठोस और पर्याप्त कारण दिए हैं। ये रिकॉर्ड और लागू कानून के अनुरूप हैं। ऐसा लगता है कि कानून में कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है जो आक्षेपित आदेशों के लिए घातक हो। मैं पहले से दर्ज किए गए कारणों और विद्वान ट्रायल कोर्ट और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण से सहमत हूं।

9. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. खारिज।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।